



जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार



प्रथम तल, विद्युत भवन - 2, बेली रोड, पटना - 800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फ़ैक्स : +91-612-250 4960, वेबसाइट : www.brllp.in

पत्रांक :- BRLPS/PROJ./316/12/3151

दिनांक:- 13.09.2013

कार्यालय आदेश

विषय :- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihoods Mission i.e., NRLM) के तहत जोड़ने के संबंध में।

राज्य में पिछले वर्ष में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) तथा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न जिलों में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इनका उद्देश्य समूहों का निर्माण कर उनके सदस्यों के क्षमतावर्धन हेतु प्रशिक्षण देना तथा उन्हें बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार हेतु संसाधन उपलब्ध करवाना था।

वर्तमान में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समाप्त हो चुकी है तथा इसके स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) लागू किया गया है। राज्य में NRLM का क्रियान्वयन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति 'जीविका' द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत सम्पूर्ण राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों एवं उनके अन्य सामुदायिक संगठनों का निर्माण एवं क्षमतावर्धन किया जाना तथा उन्हें जीविका के विभिन्न संसाधनों से जोड़ना है।

NRLM के अन्तर्गत राज्य में "जीविका" कार्यक्रम का विस्तार चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है तथा वर्ष 2013-14 में इसका प्रसार सम्पूर्ण राज्य में हो जायेगा। ऐसे में यह आवश्यक है कि पूर्व से SGSY तथा अन्य योजनाओं के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों एवं उनके परिसंघों को जीविका के तहत सम्मिलित किया जाय। इस हेतु राज्य के सभी जिले के उप विकास आयुक्त के नेतृत्व में पूर्व से निर्मित समूहों की Mapping की गयी तथा इससे सम्बंधित जानकारी National Informatics Centre (NIC) की सहायता से बनायी गयी Management Information System (MIS) में समाहित किया गया। वर्तमान में लगभग 1.30 लाख ऐसे समूहों की जानकारी www.brllp.in, www.eservices.bih.nic.in, www.rdd.bih.nic.in पर उपलब्ध है। समूह से सम्बंधित जानकारी जिलावार/ प्रखण्डवार/ ग्रामवार/ समूहवार उपलब्ध है।

इन समूहों को जीविका के अन्तर्गत सम्मिलित करने हेतु निम्न निदेश दिये जाते हैं :-

- i. जीविका के सभी जिला परियोजना समन्वय इकाईयों (DPCUs) द्वारा सभी प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों में कार्यरत कर्मियों को इस सम्बंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। विभिन्न प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों द्वारा ऐसा ही प्रशिक्षण सामुदायिक संसाधन सेवियों (CRPs) को दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- ii. जिला परियोजना प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई के पास पहले से गठित समूह से संबंधित जानकारी ग्रामवार उपलब्ध हो तथा इसकी एक प्रति उस गाँव में कार्यरत संबंधित परियोजनाकर्मी को भी उपलब्ध करवा दी गयी हो। इस प्रक्रिया से पूर्व में गठित समूहों की पहचान हो सकेगी एवं उनके साथ कार्य करने की दिशा में सार्थक पहल किया जा सकेगा।
- iii. पूर्व से निर्मित समूहों को जीविका के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समाहित करने के लिए सी.आर.पी. (सामुदायिक साधनसेवी) का सहयोग लिया जायेगा। नए प्रखंडों में प्रवेश के समय सी.आर.पी की टीम उपरोक्त समूहों को पूर्व से हुई ग्रेडिंग के आधार पर पुनः पंचसूत्र के नियमों (नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित लेन-देन, नियमित ससमय ऋण वापसी एवं लेखा पुस्तकों के नियमित संधारण) पर ग्रेडिंग करेंगी। यह इसलिए करना आवश्यक होगा क्योंकि समूहों की ग्रेडिंग लगभग 6-8 माह पूर्व की गयी थी। ग्रेडिंग प्रक्रिया में प्राप्त ग्रेड के आधार पर समूहों के साथ भविष्य में कार्य किया जायेगा। सी.आर.पी ड्राईव के समय यदि पता चलता है कि संबंधित ग्राम में कुछ महिला समूह निर्मित है परंतु वह पूर्व से S.G.S.Y./Non S.G.S.Y. के तहत Data Collection में सम्मिलित नहीं हो पायी हैं तो ऐसे समूहों की सूचना सी.आर.पी ड्राईव के समय ली जायेगी तथा उन समूहों को भी डाटाबेस कलेक्शन एवं ग्रेडिंग की प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा। सी.आर.पी ड्राईव के समय ही सी.आर.पी टीम द्वारा नये समूहों के गठन एवं प्रशिक्षण का भी कार्य किया जायेगा। जिन प्रखंडों में जीविका पूर्व से कार्य कर रही है, वहाँ पर विशेष सी.आर.पी ड्राईव का उपयोग S.G.S.Y./ अन्य समूहों को जीविका के अंतर्गत समाहित करने के लिए किया जायेगा।
- iv. यदि पूर्व से निर्मित समूहों के सदस्य पहले से जीविका समूहों के सदस्य के रूप में शामिल हो गये हैं तो सामान्य प्रक्रियाओं के तहत उपरोक्त सदस्य नये जीविका समूह के सदस्य बने रहेंगे।
- v. समूहों के डाटाबेस कलेक्शन के दौरान यदि किसी प्रखंड एवं जिले के कुछ समूहों का डाटाबेस कलेक्शन नहीं हो पाया है तो ऐसे समूहों का डाटाबेस कलेक्शन निर्धारित प्रपत्रों में (उन समूहों को प्रोत्साहित करने वाली संस्था/NGO के द्वारा डाटाबेस कलेक्शन के प्रपत्र को पूर्ण रूप से देखकर) किया जायेगा तथा यह प्रपत्र निदेशक,



डी.आर.डी.ए को समर्पित किया जाएगा। संस्थाओं/ NGO द्वारा यह सूची सी.आर.पी ड्राईव के दौरान सत्यापित होने के उपरांत ग्रामवार/पंचायतवार/ प्रखंडवार संधारित की जायेगी ताकि MIS में संबंधित समूहों की सूचना प्रविष्ट की जा सके।

- vi. जिला परियोजना प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न स्तर के परियोजना कर्मियों को उस जिले में उपलब्ध समूहों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण ससमय दे दिया गया है। तत्पश्चात् वैसे समूहों की पहचान की जाएगी जो पूरी तरह से महिला सदस्यों को मिलाकर गठित की गयी हो।
- vii. विभिन्न प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि किसी सक्रिय समूह को तोड़कर नये समूह का गठन नहीं किया गया है। वर्तमान में उपलब्ध समूह का आकलन करके उनकी गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा एवं उनके साथ आगे कार्य करने की रणनीति बनाई जाएगी। वर्गीकरण करने हेतु यह उपयुक्त होगा कि NIC द्वारा संचालित MIS में संकलित समूह संबंधी आकलन का अवलोकन किया जाए। यह अपेक्षित है कि पूर्व में विभिन्न जिलों द्वारा किये गये आकलन की वस्तुस्थिति को परख लें एवं उपलब्ध समूहों का फिर से आकलन के आधार पर वर्गीकरण कर लें।
- viii. क्षमता वर्धन की प्रक्रिया के तहत यह ध्यान रखना जरूरी है कि कोई समूह अगर पिछले 6 महीने से निर्धारित बैठक नहीं कर रही है तो उसे मृत माना जाएगा तथा उन्हीं सदस्यों को मिलाकर उस समूह को फिर से क्रियाशील बनाने की कोशिश की जायगी। अगर सारे सदस्य एक साथ फिर से आने को तैयार न हों तो सदस्यों को एक मौका देकर किसी भी अन्य समूह (जो उनके घर के आस पास हो या उनके टोले के सदस्यों को मिलाकर हो) से जुड़ने का प्रस्ताव दिया जाएगा। हलांकि कोशिश यही होनी चाहिए कि पूर्व से संबंधित सदस्यों को मिलाकर ही समूह को क्रियाशील किया जाए एवं नया समूह बनाने का प्रस्ताव अन्तिम विकल्प के तौर पर ही उपयोग में लाया जाए।
- ix. वर्गीकरण के उपरांत अगर समूह "A अथवा क" Category का प्रतीत होता है तो उसकी जरूरत के आधार पर उनका वित्त पोषण निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत सूक्ष्म नियोजन (माइको प्लानिंग) करके किया जा सकता है। यह भी सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि समूह "पंच सूत्र" के सभी मानकों का पालन कर रहा है। साथ ही समूह से संबंधित वर्तमान में निर्धारित M1, M2 एवं M3 माइयूल (गरीबी के कारण तथा समूह की आवश्यकता, बैठक की प्रक्रिया एवं नियमावली तथा नेतृत्व, वित्तीय अनुशासन एवं मतभेद समाधान जैसे मुद्दों पर परिचर्चा) की ट्रेनिंग भी उन्हें दे दी गई है। समूह को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि माइको प्लानिंग के पश्चात् उपलब्ध करवायी गयी सामुदायिक निवेश निधि की राशि को ग्राम संगठन के गठन होने के बाद उसे निर्धारित समय में वापस कर देंगे। यह भी ध्यान देना जरूरी होगा कि समूह को सामुदायिक निवेश निधि की राशि तभी उपलब्ध करवायी जाएगी जब वह इसके



लिए पूर्व से निर्धारित सभी मापदंडों को पूरा करेगी। यदि पूर्व से ग्राम स्तर पर समूहों का कोई संगठन मौजूद है (जिसे ग्राम संगठन अथवा किसी और नाम से जाना जाता है) तो सामुदायिक निवेश निधि देने की प्रक्रिया में उस संगठन का महत्वपूर्ण योगदान होगा। ग्राम स्तरीय संगठन के माध्यम से विभिन्न समूहों को सामुदायिक निवेश निधि की राशि आवश्यक निर्धारित मापदंडों के पूरी होने के उपरान्त दी जाएगी एवं समूहों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सामुदायिक निवेश निधि की राशि को निर्धारित समय सीमा में ग्राम स्तरीय संगठन को वापस कर देंगे।

- x. अगर समूह के गुणवत्ता की श्रेणी "B अथवा ख या C अथवा ग" होती है तो जीविका द्वारा निर्धारित क्षमता वर्धन की समस्त प्रक्रिया से समूहों को जोड़ा जाएगा तथा कुछ समय बाद अगर वे "पंचसूत्र" समेत सारे मापदंडों को पूरा करते हैं तो उन्हें भी निर्धारित प्रक्रिया एवं मापदंडों के अनुसार सामुदायिक निवेश निधि की राशि उपलब्ध करवायी जाएगी। सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध करवाये गए समूहों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राम संगठन के गठन होने के बाद उसे निर्धारित समय में वापस कर देंगे।
- xi. प्रखंड परियोजना प्रबंधक द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि समस्त वर्गीकृत समूह क्षमता वर्धन की प्रक्रिया के बाद "पंचसूत्र" का पालन कर रहे हों। उन्हें प्रशिक्षित कर लेखा संबंधी पुस्तकों को उपलब्ध करवाना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि लेखा-पुस्तकों का संधारण ससमय नियमित रूप से परियोजनाकर्मी अथवा जीविका मित्र के द्वारा किया जा रहा है।
- xii. पूर्व से निर्मित स्वयं सहायता समूहों का गठन (एस0जी0एस0वाई0/अन्य योजनाओं के अंतर्गत) सिर्फ महिला सदस्यों, मिश्रित सदस्यों (महिला एवं पुरुष सदस्यों को मिलाकर) या सिर्फ पुरुषों सदस्यों को मिलाकर किया गया था। शुरुआती दौर में सिर्फ वैसे समूहों के साथ काम होगा जो महिलाओं का है। उपर्युक्त वर्णित प्रक्रिया के अंतर्गत महिला समूहों को जीविका के अंतर्गत समाहित करने की कोशिश की जाएगी एवं उन्हें आगे बढ़ाने की दिशा में पहल होगी।
- xiii. प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा मिश्रित समूहों की महिलाओं के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित करने की कोशिश होगी कि पुरुषों को समूह से हटाकर उनके स्थान पर महिलाओं को जोड़ा जाए। इस हेतु बैठक करके सर्वसम्मति बनाते हुए समूह से सदस्यों को हटाने तथा जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तत्पश्चात् उपर्युक्त वर्णित सारे निदेशों को क्रमशः लागू करेंगे।

उपर्युक्त कार्यों को समयबद्ध तरीके से करने हेतु सभी जिलों में उप विकास आयुक्त के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक, डी0डी0एम0, नाबार्ड, निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा उप विकास आयुक्त द्वारा नामित 2 महिला प्रसार पदाधिकारी या प्रसार पदाधिकारी रहेंगे।



प्रखंड स्तर पर एक team का गठन किया जायेगा जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, जीविका के प्रखंड परियोजना प्रबंधक, क्षेत्रीय समन्वयक तथा प्रखंड में पदस्थापित महिला प्रसार पदाधिकारी या प्रसार पदाधिकारी होंगे।

उपरोक्त Team पूर्व में निर्मित सभी समूहों को जीविका के तहत लाने हेतु आवश्यक प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। विभिन्न जिले के प्रखंडों में जैसे-जैसे जीविका कार्यक्रम का विस्तार होगा वैसे-वैसे सम्बंधित प्रखंडों में समूहों को जीविका अन्तर्गत लाया जायेगा।




(अरविन्द कुमार चौधरी)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
-सह-
राज्य मिशन निदेशक

ज्ञापांक :- BRLPS/ PROJ./316/12/3151
प्रतिलिपि:-

दिनांक:-13.09.2013

1. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी प्रति सभी जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड को उपलब्ध करायी जाय।
2. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. सभी जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(अरविन्द कुमार चौधरी)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
-सह-
राज्य मिशन निदेशक

ज्ञापांक :- BRLPS/ PROJ./316/12/3151
प्रतिलिपि:-

दिनांक:-13.09.2013

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष कार्य पदाधिकारी/मुख्य वित्त पदाधिकारी/प्रशासी पदाधिकारी/सभी राज्य परियोजना प्रबंधक/वित्त पदाधिकारी/प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट/सभी परियोजना प्रबंधक, जीविका को सूचनार्थ प्रेषित।

IT Section, जीविका, पटना को BRLPS के website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(अरविन्द कुमार चौधरी)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
-सह-
राज्य मिशन निदेशक

ज्ञापांक :- BRLPS/ PROJ./316/12/3151

प्रतिलिपि:- मंत्री, ग्रामीण विकास, बिहार के आप्त सचिव/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक:-13.09.2013

A
13/9/2013

(अरविन्द कुमार चौधरी)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

-सह-

राज्य मिशन निदेशक